उग्रवादियों की राजनीतिक विचारधारा, उग्रवाद और उदारवाद में अन्तर एवं मूल्यांकन (Political philosophy of the Extremists, Difference between Extremists and Moderates and Evaluation)

उग्रवादियों की विचारधारा उदारवादियों से भिन्न थी। उग्रवादियों के नेता लाल, बाल, एवं पाल के साथ साथ अरविन्द घोष भी थे। इन नेताओं ने जिस विचारधारा को जन्म दिया वह उग्रवादी कहलाई। इस प्रकार उग्रवादियों के राजनीतिक विचार निम्नलिखित थे:—

(i) राजनीतिक लक्ष्य (Political object) :— उग्रवादियों का उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति था। तिलक के शब्दों में "स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।" अरविन्द घोष के शब्दों में "स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और इसे हिन्दू धर्म के माध्यम से ही इस आकांक्षा की पूर्ति हो सकती है।" सन 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज्य प्राप्त करना कांग्रेस का उद्देश्य निश्चित किया गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्नति अपने आप हो जाएगी।

(ii) संवैधानिक साधनों में विश्वास नहीं (No Faith in constitutional Methods) :— उग्रवादियों को उदारवादियों की तरह संवैधानिक ढंगों में कोई विश्वास नहीं था। प्रार्थना करने, प्रार्थना-पत्र भेजने और प्रस्ताव पास करने से कभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। उदारवादियों का साधन भिक्षावृत्ति है जो हमें पसन्द नहीं। स्वतंत्रता माँगने से नहीं मिलती स्वतंत्रता जबरदस्ती छीनकर तथा संघर्ष से संभव है

(iii) रचनात्मक कार्यों में विश्वास (Faith in constructive work) :— उग्रवादी रचनात्मक कार्यों में विश्वास रखते थे। रचनात्मक कार्य भारतीयों में संगठन, शारीरिक विकास तथा नैतिक विकास का प्रतिफल हो। उदारवादी अनुनय, विनय, भिक्षावृत्ति जबकि हम उग्रवादी सरकार पर दबाव डालकर तथा बलिदान की बात अगर आई तो उसे भी देकर स्वतंत्रता हासिल करेंगे। हम अपनी हाथ से बनाई वस्तु में विश्वास करते हैं न कि किसी के द्वारा बना-बनाया पर।

(iv) हिंसा में विश्वास नहीं (No Faith in Violence) :— उग्रवादी अहिंसात्मक आन्दोलन में विश्वास रखते थे क्योंकि हिंसात्मक ढंगों से स्वतंत्रता प्राप्त करना अपनी बर्बादी है। बाद में क्रांतिकारियों ने हिंसक रूप अपनाया लेकिन सफल नहीं हो सका।

(v) ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में अविश्वास (No Faith in British Sense of Justice) :— अंग्रेजों ने भारत को अपने हितों (लाभ) के लिए जीता है जिसे वह प्यार से नहीं छोड़ सकता और भारतीयों के हितों की अवहेलना भी करेगा। उग्रवादियों के अनुसार अंग्रेज ... तो दूर भारतीयों का शोषण कर रहे हैं तथा भारतीयों की सम्पत्ति ब्रिटेन भेज रहे हैं। हम भूखे मर रहे हैं और वह हमारी सम्पत्ति पर राज कर रहे

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

उग्रवाद और उदारवाद में अन्तर :- उग्रवादी तथा उदारवादी कांग्रेस के दो पक्ष थे जिन्हें क्रमशः वामपंथी (Leftist) और दक्षिणपंथी (Rightist) कहा जाता था। दोनों दलों के उद्देश्यों में बहुत समानता थी लेकिन दोनों के साधनों में बहुत अन्तर था। एक माँगने पर तथा दूसरा जबरदस्ती छीनने पर विश्वास करता था। माँगना भीख है तथा छीनना 'हक' है।

(i) दोनों का मौलिक उद्देश्य एक समान था - स्वशासन (self-government) प्राप्त करना दोनों का उद्देश्य था, परन्तु दोनों का आशय अलग-अलग था। उदारवादी ब्रिटिश शासन की छत्र-छाया में प्रतिनिध्यात्मक अथवा संसदीय संस्थाओं की स्थापना चाहते थे वे क्रमिक सुधारों के पक्ष में थे। जबकि उग्रवादी विदेशी शासन के कट्टर शत्रु तथा किसी भी रूप में उसके अस्तित्व के विरोधी थे। जल्द से जल्द ब्रिटेन से सम्बन्ध विच्छेद चाहते थे।

(ii) उदारवादी अंग्रेजों के न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। संचार के साधनों के विकास को भारत के लिए वरदान मानते थे। अंग्रेजों की परोपकारिता तथा नेकनीयत में पूरा विश्वास था जबकि उग्रवादी के नजर में अंग्रेज आर्थिक शोषक थे।

(iii) उदारवादी केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग उचित समझते थे जबकि उग्रवादी राजनीतिक आन्दोलन में विश्वास करते थे। उदारवादी प्रार्थना करने, माँगों के बारे में उन्हें शिक्षित करने, भाषण देने, लेख लिखने, शिष्टमंडल भेजने इत्यादि को प्रभावपूर्ण एवं सम्मानजनक समझते थे जबकि उग्रवादी उपरोक्त बातों में विश्वास नहीं रखते थे। वे भिक्षा नहीं आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं भारतीय वस्तुओं का स्वीकार के पक्षधर थे।

(iv) उदारवादी ब्रिटिश शासन को भारतीय हित समझता था उन्हें लगता था। ब्रिटेन हमें विकास की ओर ले जायेगा। लेकिन इसके विपरित अंग्रेजों का उद्देश्य निजी स्वार्थ (हित) था जबकि भारत के लिए अहितकारी था।

(v) उग्रवादी प्राचीन हिन्दू धर्म, सभ्यता और संस्कृति तथा उनके आधार पर विकसित हिन्दू धर्म राष्ट्रीयता के पोषक थे जबकि उदारवादी पश्चिमी सभ्यता तथा संस्कृति से प्रभावित तथा पश्चिमी संविधान के प्रशंसक थे।

उपरोक्त अन्तर के बावजूद भी दोनों में विरोध नहीं था। दोनों सच्चे देशभक्त तथा देशप्रेमी थे वे साथ साथ एक दूसरे के पूरक थे। उदारवादी वाणी के क्षेत्र में धनी थे तो उग्रवादी कर्म के क्षेत्र में धनी थे। उदारवादी केवल आलोचना तथा प्रार्थना पत्र से सरकार को प्रभावित करना चाहते थे जबकि उग्रवादी सक्रिय आन्दोलन का मार्ग अपनाने के पक्ष में थे।

मूल्यांकन - (Evaluation) :- उग्रवादी आन्दोलन का प्रभाव पूरे देश के लिए इस प्रकार पड़ा :-

(i) स्वराज का नारा (Slogan of swarajya) :- राष्ट्रीय कांग्रेस में, जो अब तक शांतिपूर्ण संस्था थी, क्रांति की भावनाएँ उत्पन्न हो गई जिसके कारण 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी तथा बहिष्कार की नीति का समर्थन किया था। यह भी उन्हीं के रोष का प्रभाव था कि 1906 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

(ii) राष्ट्रीय आन्दोलन का क्षेत्र विस्तृत किया गया (Sphere of National movement was expanded) :- अभी तक उदारवादी नेता कांग्रेस को एक उच्च वर्ग की संस्था बनाए हुए थे, परन्तु उग्रवादियों ने इसे जनता का संगठन बनाने का प्रयत्न किया। यह इन्हीं नेताओं के जनसम्पर्क का कारण था कि बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन सफलता पूर्वक चलाया जा सका। लाला लाजपत राय का कथन है कि 'हम सरकारी भवनों से अपने मुँह हटाकर जनता की झोपड़ियों की ओर फेरना चाहते हैं जहाँ तक सरकार से अपील करने का सम्बन्ध है, अपने मुखों को हम बन्द करना चाहते हैं और अपनी जनता से एक नई अपील करने के लिए खोलना चाहते हैं। यही बहिष्कार आन्दोलन का मनोविज्ञान है, यही उसकी नैतिकता और आध्यात्मिक महत्त्व है।

(iii) अपनी संस्कृति पर अभिमान (Pride in Indian culture) :- उदारवादी नेता पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के पुजारी थे। वे ब्रिटिश शासन को वरदान समझते थे परन्तु उग्रवादियों ने भारतीय जनता के समक्ष यह प्रमाणित कर दिया कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता पश्चिमी संस्कृति तथा सभ्यता से श्रेष्ठ है। इसका लाभ यह हुआ कि भारतीयों में आत्म विश्वास पैदा हो गया।

(iv) सन 1909 का अधिनियम (Act of 1909) :- ब्रिटिश सरकार ने उग्रवादियों के प्रभाव के कारण ही सन 1909 का एक्ट (मार्ले-मिन्टो सुधार अधिनियम) पास किया। ब्रिटिश सरकार ने यह भी अधिनियम इस उद्देश्य से पारित किया कि उग्रवादियों और उदारवादियों में फूट पड़ जाए।

(v) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नए साधन (New methods for the object) :- उदारवादियों की भिक्षावृत्ति के विरुद्ध उग्रवादियों ने कांग्रेस के सामने स्वराज्य प्राप्ति के लिए स्वदेशी आन्दोलन तथा बहिष्कार आन्दोलन का सुझाव रखा। सन 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने इन्हें कुछ सीमा तक अपना भी लिया। भले ही उदारवादियों ने इन नए साधनों को न अपनाया हो परन्तु बंगाल-विभाजन के विरुद्ध आन्दोलन में इन सिद्धांतों को अपनाकर इनकी महानता को स्थापित कर दिया। बाद में गाँधी जी ने भी इन साधनों को अपने आन्दोलन का महत्त्वपूर्ण स्थान दिया।

(समाप्त)

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी० के० कॉलेज, डुमराँव
दिनांक 04/08/20

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA